



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंदर महाविद्यालयों के अनुदान प्रपत्र जमा करने से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 91/2012

एतद् द्वारा निदेशक (मा.शि.)-सह-संयुक्त सचिव, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 12/अ. 5-02/2012/2908 दिनांक 30.10.12 के आलोक में राज्य स्थित सभी प्रस्वीकृत महाविद्यालयों के प्राचार्य/सचिव को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान प्राप्त हेतु विहित प्रपत्र परिषद् कार्यालय, राँची से अथवा परिषद् के **Website: www.jac.nic.in** से डाउनलोड कर भरे हुए प्रपत्र को निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि 30.11.2012 तक परिषद् कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करेंगे।

निर्धारित तिथि के बाद अनुदान आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(सुशील कुमार राय)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/कॉ.स्था./20554/12/SECY/560/12

Dt. 12.11.12

D.O.P : 13.11.12